परिशिष्ट- 90.01 ﴾क﴿

मोती लाल नेहरू रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज,

इलाहाबाद-211004

प्रशासकीय परिषद की दिनांक 8-12-1998 को लखनऊ में सम्पन्न हुई 89वीं बैठक की कार्यवृत्त

प्रशासकीय परिषद के निम्नलिखित सदस्यों ने बैठक में भाग लिया :-

1.	प्रो0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।	अध्यक्ष
2.	श्री अखण्ड प्रताप सिंह प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन प्राविधिक शिक्षा विभाग लखनऊ।	उपाध्यक्ष
3.	प्रो0 रजनीश प्रकाश प्राचार्य पंजाब इन्जीनियरिंग कालेज चण्डीगढ़।	सदस्य
4.	श्री शिवहोरी सिंह यादव संयुक्त सचिव वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।	सदस्य
5.	प्रो0 चुन्नी लाल खेत्रपाल कुलपति इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद।	सदस्य
6.	श्री विजय भरत डायरेक्टर (तकनीकी) मानव संसाधन विकास मंत्रालय	सदस्य

7. प्रो. नितीश कुमार सान्याल — सदस्य
पूर्व अध्यक्ष,
उच्च शिक्षा आयोग
उत्तर प्रदेश।

8. श्री महेश भारद्वाज — सदस्य
डेस्क आफिसर
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
नई दिल्ली।

9. डा. पी.एस. सत्संगी — सदस्य
निदेशक
दयालबाग एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट
दयालबाग, आगरा

10. प्रो. एल.एन. पालीवाल — सदस्य
आचार्य
विद्युत इन्जीनियरिंग विभाग
मोतीलाल नेहरू रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज
इलाहाबाद।

11. श्री दिनेश चन्द्र — सदस्य
उपाचार्य
विद्युत इन्जीनियरिंग विभाग
मोतीलाल नेहरू रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज
इलाहाबाद।

12. प्रो. एस.वी.एल. गर्ग - सदस्य/सचिव
प्राचार्य
मोतीलाल नेहरू रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज
इलाहाबाद।

13. सुश्री अनीता सिंह — विशेष आमंत्रित सदस्य
विशेष सचिव
प्राविधिक शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ।

प्रशासकीय परिषद के निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :-

1. श्री जे.एल. शाहा
   निदेशक
   प्राविधिक शिक्षा
   कानपुर (उ0प्र0)

2. प्रो. गजेन्द्र प्रकाश
   भूतपूर्व कुलपति
   गढ़वाल विश्वविद्यालय
   75/57 सिविल लाइन्स
   रूड़की।

3. प्रो. बी.जी. संगमेश्वरा
   सलाहकार (ई एण्ड टी)
   आल इण्डिया कौंसिल फार टेक्नीकल एजूकेशन
   इन्द्रप्रस्थ स्टेट, इन्दिरा गांधी स्पोर्ट्स काम्पलेक्स
   नई दिल्ली।

4. प्रो0 एन0सी0 निगम
   कुलपति,
   रूड़की विश्वविद्यालय
   रूड़की।

5. प्रो0 के0ए0 पद्मनाभन
   निदेशक,
   आई0आई0टी0,
   कानपुर।

6. श्री ललित खेतान
   39, फ्रेन्ड्स कालोनी
   नई दिल्ली।

89.01 प्रशासकीय परिषद ने अपनी विगत 88वीं बैठक जो दिनांक 15 जून, 1998 को सम्पन्न हुई थी, के प्रारूप कार्यवृत्त की पुष्टि निम्नलिखित संशोधन के साथ की :-

> "बैठक में तय किया गया था कि सेलेक्शन ग्रेड तो नियमानुसार ही किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है। यदि किसी अन्य पद को उच्चीकृत करने की आवश्यकता हो तो उसे पूर्ण औचित्य के साथ प्रस्तुत किया जाय। उक्त प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष रखा जाय।"

89.02 प्रशासकीय परिषद की दिनांक 15 जून, 1998 को सम्पन्न हुई 88वीं बैठक में लिए गये निर्णयों पर महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत कृत कार्यवाही से परिषद अवगत हुई तथा परिषद द्वारा निम्नलिखित निदेश दिये गये -

(क) "रेमिडियल कोर्स योजना" के अन्तर्गत कार्यरत डा0 जी0के0 मेहरोत्रा, प्रवक्ता रसायन शास्त्र एवं श्री अरविन्द अग्रवाल, प्रवक्ता भौतिक शास्त्र के प्रकरण पर निर्णय हेतु अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद अधिकृत किये गये।

(ख) इण्डस्ट्रीयल इस्टेट की विधिक परामर्श एवं तदानुसार कृत कार्यवाही से परिषद अवगत हुई तथा निदेश दिया कि इस प्रकरण के निस्तारण व बकाये वसूली के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाय।

89.03 संस्था को प्राप्त अनुदान के सापेक्ष व्यय की स्थिति, शैक्षिक सत्र एवं परिणामों की घोषणा की स्थिति तथा गत वर्ष उत्तीर्ण छात्रों की सेवायोजन की स्थिति से परिषद अवगत हुई, तथा निम्नलिखित निर्णय लिया -

(क) संलग्नक-89.03(क) आइटम-7(1,2,3) पर वर्णित कोर्सेस के विषय में अपेक्षा की गयी कि सक्षम स्तर से उनके अनुमोदन की स्थिति बताते हुए अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद के समक्ष एक सप्ताह में आख्या प्रस्तुत की जाय व भविष्य में उनके व अन्य ऐसे कार्यक्रमों के अनुमोदन के लिए अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

(ख) कालेज द्वारा डिजाइन सेन्टर के माध्यम से आन्तरिक श्रोत जनन के प्रस्तावित प्रकरण पर

ने इस योजना के परिचालन आदि के सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन कर आख्या एवं सुझाव प्रस्तुत करने के हेतु निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति का गठन किया।

1. कुलपति (प्रो0 खेत्रपाल) — अध्यक्ष
   इलाहाबाद विश्वविद्यालय
   इलाहाबाद।

2. प्रो0 पी.एस. सत्संगी. — सदस्य
   निदेशक,
   दयालबाग एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट
   दयालबाग. आगरा।

3. प्रो0 नितीश कुमार सान्याल — सदस्य
   पूर्व अध्यक्ष,
   उच्च शिक्षा आयोग
   उत्तर प्रदेश।

4. प्राचार्य — संयोजक/सदस्य
   मोतीलाल नेहरु रीजनल इंजी0 कालेज
   इलाहाबाद।

उक्त समिति शीघ्रातिशीघ्र अपनी संस्तुति अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद के विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी। इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय हेतु परिषद ने अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद को अधिकृत किया ताकि सम्यक निर्णयोंपरान्त योजना को कार्यान्वित किया जा सके।

89.04 प्रशासकीय परिषद ने महाविद्यालय की वित्त समिति की दिनांक 28.7.98 की विशेष बैठक तथा दिनांक 23.11.98 की 71वीं बैठक की कार्यवृत्तियों को अनुमोदित करते हुए निर्णय लिया कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 1998-99 के पुनरीक्षित आय-व्ययक एवं वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक अनुमानों के सम्बन्ध में उठाये गये विन्दुओं पर कालेज द्वारा आख्या पूर्ण औचित्य के साथ भारत सरकार को उपलब्ध करायी जाय।

परिषद ने महाविद्यालय की भवन-निर्माण समिति की दिनांक 18.8.98 को सम्पन्न हुई 81वीं बैठक की कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान किया।

89.05 परिषद ने संस्था के ड्राफ्ट्समैन पद की अर्हताओं के पुनः निर्धारण एवं उसको नया पदनाम दे विषयक प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचारोपरान्त निर्णय लिया कि ड्राफ्ट्समैन का पदनाम एवं वेतनमान पूर्ववत रखते हुए निम्नलिखित अर्हतायें रखी जायं -

"कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में डिप्लोमा के साथ कम्प्यूटर ग्राफिक्स व कम्प्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग में 6 माह का कोर्स सर्टीफिकेट।"

89.06 परिषद ने स्व0 एस0एस0 गुप्ता, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष को विशेष चैकेत्सिक अवकाश स्वीकृत करने पर विचार किया तथा निर्णय लिया कि स्व0 गुप्ता को 180 दिन की सीमा तक (अवशेष 56 दिन) का विशेष चैकेत्सिक अवकाश स्वीकृत किया।

89.07 परिषद ने श्री इम्तियाज अहमद, आशुलिपिक को एक वर्ष की अतिरिक्त असाधारण अवकाश स्वीकृत करने के प्रस्ताव को अस्वीकृत किया।

89.08 संस्था के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिये जा रहे अवकाश नगदीकरण की सुविधा के सम्बन्ध में कालेज द्वारा प्रस्तुत प्रकरण से परिषद अवगत हुई। निर्देशित किया, कि इस प्रकरण पर शासन से निदेश प्राप्त किये जायं व शासन के निर्देशों का अविलम्ब पालन सुनिशिचत किया जाय।

89.09 परिषद ने संस्था के रू0 3500/- से अधिक वेतनमान में कार्यरत नियमित अधिकारियों को व्यक्तिगत प्रोन्नत वेतनमान देने के प्रकरण को शासन को संदर्भित करने व तद्नुसार कार्यवाही करने का निदेश दिया।

89.10 संस्था में चलाये जा रहे मास्टर आफ मैनेजमेन्ट स्टेडीज पाठ्यक्रम में अप्रवासी भारतीयों/अप्रवासी भारतीय द्वारा स्पान्सर्ड/स्ववित्त पोषित/इण्डस्ट्री स्पान्सर्ड छात्रों हेतु अतिरिक्त प्रवेश क्षमता के प्रस्ताव पर निर्णय हेतु अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद को अधिकृत किया।

89.11 प्रशासकीय परिषद ने संस्था के अध्यापकों के वेतन-पुनरीक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव पर निर्णय हेतु अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद को अधिकृत किया।

89.12 संस्था की रू0 2200-4000 एवं उससे ऊपर किन्तु प्राचार्य पद से नीचे के शिक्षणेत्तर पदों की चयन समिति हेतु प्रशासकीय परिषद के एक सदस्य के नामांकन विषयक प्रस्ताव पर परिषद ने

89.13

Confidential

89.14 संस्था के कर्मचारियों/अध्यापकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को वर्तमान में स्वीकृत अस्पतालों के अतिरिक्त स्थानीय नाजरेथ अस्पताल में उपचार एवं टेस्ट आदि कराने की सुविधा प्रदान करने के प्रस्ताव पर परिषद ने विचार किया तथा निर्णय लिया कि नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण को उपाध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद को संदर्भित किया जाय।

प्रशासकीय परिषद की बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के पश्चात् विसर्जित हुई।

(एस०बी०एल० गर्ग)
प्राचार्य/सचिव

(~~अखण्ड प्रताप सिंह~~)
~~उपाध्यक्ष~~

अनु०मो०दि०

(नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)
अध्यक्ष

* * * *